तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व प्रार्थना पत्र मु.न. 118/2021** **अनवान श्रीमती पुरादेवी बनाम स्टेट वगै.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.08.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। अप्रार्थी/ प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अभिवचन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इस अनुतोष हेतु पक्षकार द्वारा 131 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करनें का अधिकार नहीं है। जहा विभाजन का स्पष्ट प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिया गया है। इसलिए प्रार्थिनी को यह कार्यवाही करनें का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्लीडिंग से स्पष्ट होता है कि इस त्रुटि के सुधार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत कार्यवाही होती है धारा 131 बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) की कार्यवाही हेतु है। जहां साक्ष्य का प्रश्न है वहा दावा के माध्यम से कार्यवाही होती है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र बार्ड बाई लॉ है अप्रार्थी को तंग परेशान करने व उसकी भूमि को हडपने की नियत से यह कार्यवाही की गई है कानूनन यह प्रार्थना पत्र बोड बहि का है इसलिए कार्यवाही को खारिज किया जाव। प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र 06.08.2012 के नामान्तरण के आदेश के विरूद्ध पेश किया गया जो दिनांक 16.12.2020 को पेश किया गया है। इस प्रार्थना पत्र के साथ अवधि नियम की अन्तर्गत अविलम्ब को माफी हेतु कोई प्रार्थना पत्र नही दिया है इसलिए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान, अजमेर के न्यायिक दृटान्त आरआरटी 2023(2) पृष्ठ संख्या 798 से 803 पेश की गई। अप्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआर एक्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रार्थीनी को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम धाराओ में वाद प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद निर्णय दायरी राजस्व [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश पर इनिशियल्स [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Uma Mittal Date: 2024.08.16 18:11:55 IST Reason: SelfAttested (उमा मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)